

20/11/19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्ष 2002 से विचाराधीन पल रहा है अतः वास्ते कटस/आदेश हेतु पत्रावली दि. 28/11/19 को पेश है।

28/11/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कृषार्थी ने आवेदन वाकत कार्रवाई ड्रॉप करने हेतु पेश किया जो शामिल रहे। पत्रावली क्रमिका दि. 29/11/19 को पेश है।

29/11/19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली एवं आदेशानुसार दि. 03/12/19 को पेश है।

03/12/19 पत्रावली पेश हुई। कृषार्थी अधिवक्ता द्वारा दि. 28/11/19 को प्रस्तुत आवेदन वाकत कार्रवाई ड्रॉप करने हेतु का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता कृषार्थी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि कृषार्थी दिलीपसिंह पुत्र बालसिंह जाट राजपूत नि. भगतपुरा की दि. 16/01/16 को मृत्यु हो चुकी है इसलिए दिलीपसिंह के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता कृषार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरोक्त यह भी जाहिर है कि प्रकरण के संबंध में कृषार्थी उपनिदेशक कृषि (कि.) सीकर द्वारा भी विधिक परीक्षा नहीं की जा रही है अतः अधिवक्ता कृषार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मान्यता के स्वीकार किया जाता है। कृषार्थी दिलीपसिंह पुत्र बालसिंह नि. भगतपुरा की मृत्यु हो जाने से प्रकरण के संबंध में उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) सीकर को पूरा ही इस निर्देश के साथ लौटाया जाता



ई ई पुकरण में वसूली के संबंध में अग्रीक  
कार्यवाही हेतु नवीन पुकरण तैयार कर आलापर  
दाजा के समझ पेश करे।

अति. जिला कलक्टर, बीकर

*[Faint, mostly illegible handwritten text in Hindi, possibly a continuation of the letter or a separate document.]*

